<u>प्रेस नोट</u>

<u>थाना कोतवाली, झाँसी</u>

<u>दिनांक- 16.03.2026</u>

- **जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही**
- **थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, चोरी की घटना से सम्बन्धित 02 शातिर चोर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार,**
- **कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस व चोरी के जेवरात(कीमत करीब 06 लाख) बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 16.03.2026 थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत नगरिया कुआं रोड हाइवे के किनारे पर समय करीब 01.04 बजे मु0अ0सं0 – 82/2026 धारा 305/331(4) बीएनएस व 64/2026 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. दीपक उर्फ संजय जाटव पुत्र अमर सिंह निवासी गणेश पुरा थाना बिजौली ग्वालियर मध्यप्रदेश उम्र करीब 31 वर्ष 02. नदीम पुत्र शकूर खान निवासी हरदौल का मोहल्ला (वंशन का पुरा) थाना दतिया जिला दतिया मध्यप्रदेश उम्र करीब 19 वर्ष को पुलिस मुठभेड़ में अवैध तमंचा व कारतूस व चोरी के जेवरात(कीमत करीब 06 लाख रू0) सहित गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 83/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/28 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>संक्षिप्त विवरण –</u>

उल्लेखनीय है दिनांक 15.03.2026 को वादिया श्रीमती उमा वर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार वर्मा निवासी 219, मेवातीपुरा थाना कोतवाली जनपद झाँसी, उम्र लगभग 55 वर्ष द्वारा थाना कोतवाली पर प्रार्थना पत्र दिया गया। वादिया के अनुसार वह अपने परिवार सहित दिनांक 11.03.2026 को रिश्तेदारी में बारात में शामिल होने हेतु जनपद जालौन गई थी, जिस कारण घर पर ताला लगा हुआ था। दिनांक 11/12.03.2026 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा घर के ताले तोड़कर घर में रखे सोने व चांदी के जेवरात तथा 5000 रुपये चोरी कर लिए गए हैं।

प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0– 82/2026 धारा 305/331(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु थाना कोतवाली पुलिस द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे थे। आज दिनांक 16.03.2026 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत हुई चोरी की घटना से संबंधित अभियुक्तगण पुनः नगारिया कुआँ क्षेत्र में चोरी करने की फिराक में घूम रहे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान की ओर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का संकेत दिया गया तो वे भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करने पर अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आवश्यक आत्मरक्षार्थ कार्यवाही करते हुए दो अभियुक्त 1. दीपक उर्फ संजय 2. नदीम को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में अग्रेतर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –</u>

01. दीपक उर्फ संजय जाटव पुत्र अमर सिंह निवासी गणेश पुरा थाना बिजौली ग्वालियर मध्यप्रदेश उम्र करीब 31 वर्ष

02. नदीम पुत्र शकूर खान निवासी हरदौल का मोहल्ला (वंशन का पुरा) थाना दतिया जिला दतिया मध्यप्रदेश उम्र करीब 19 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरण –</u>

01-02 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर,

02-01 जोडी झुमकी पीली धातु वजन 8.12 ग्राम,

03-02 जोडी तोडिया सफेद धातु वजन 61.75 ग्राम,

04-01 जोडी पांजेब सफेद धातु वजन 232.30 ग्राम,

05-01 लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ती सफेद धातु वजन 145 ग्राम,

06- एक लेडीज अंगूठी 02.35 ग्राम

07-01 अंगूठी लेडीज पीली धातु वजन 2.03 ग्राम,

08- एक छोटी पालीथीन मे 03 अदद अंगूठी पीली धातु वजन 08.70 ग्राम

09-04 अदद बिछिया सपेद धातु वजन 06.05 ग्राम,

10- कान के टप्स 01 जोडी पीली धातु वजन 01.30 ग्राम,

11-01 जोडी पायल सफेद धातु वजन 168 ग्राम,

12-20 विछिया सफेद धातु वजन 29.20 ग्राम,

13-एक अदद लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ती वजन 150.60 ग्राम

14- 6000 रुपये

15- 01 मोबाइल एण्ड्राइड फोन ओप्पो व 01 कीपैड मोबाइल फोन मैक्स किंग

16-01 मोटर साइकिल टीवीएस राइडर।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम –</u>

1-प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली मय पुलिस टीम।